

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 462/2007/जोधपुर.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स श्रीराम गम प्रा० लिमिटेड, जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.


श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/05/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 24/आरएसटी/जेयूसी/2004-05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.09.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-द्वितीय, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 16(2) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.3.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है जिसमें आरोपित शास्ति रूपये 81,191/- को अपपास्त किया गया था।
2. प्रकरण में जांच अधिकारी द्वारा फर्म की जांच की जाने पर वे-ब्रिज पर प्रवेश कर देय होना बताया गया तब प्रत्यर्थी द्वारा प्रवेश कर जमा करवा दिया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे करापवंचन मानते हुए प्रवेश कर अधिनियम के तहत शास्ति आरोपित की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपास्त की गई कि समस्त संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में दर्ज थे एवं करदेयता को परिज्ञान में लाने पर कर जमा करवा दिया गया था।
3. बहस के दौरान राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के समस्त संव्यवहारों का इंद्राज उनकी लेखा-पुस्तकों में किया हुआ था, ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के



लगातार.....2


आलोक में शास्ति का आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में यह स्पष्ट है कि व्यवहारी की जांच पर प्रवेश कर देयता होने सम्बन्धी परिज्ञान में आने पर उक्त आदेश के पूर्व ही देय प्रवेश कर जमा करवा दिया गया था। समस्त संव्यवहार बहियात में दर्ज थे एवं माल की खरीद घोषणा पत्र एस.टी.18ए जारी करते हुए की गयी थी जो विभाग में घोषित की हुई थी, ऐसी स्थिति में शास्ति का आरोपण अनुचित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2009) 23 वी.एस.टी. 249 मैसर्स श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि संव्यवहार लेखा-पुस्तकों में इन्द्राजित होने पर करापवंचन के आरोप में शास्ति का आरोपण अनुचित है। उक्त न्यायिक निर्णय में प्रतिपादित विधिक स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 81,191/- को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है अतः राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेश की पुष्टि जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य